Dated:- 13-07-2026 1

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन पदाधिकारी : आदि देव

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–860/2026

(पशुपति झा बनाम राज्य सरकार)

==

1. पशुपति झा पे0 राज नारायण झा...आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार...विपक्षी

==

आवेदक की ओर से : श्री श्रवण कुमार, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==

आदेश

13-07-2026 1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **पशुपति झा** की ओर से कमतौल थाना काण्ड संख्या 104/2020 **(**विद्वान श्री सुधांशु रंजन सिंह, जे0एम0एफ0सी0, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित**)** के अंतर्गत आरोपित अपराध धारा 341, 323, 324, 307, 379, 504, 506, 34 भा0दं0सं0 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए दाखिल किया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि उनके द्वारा यह नवीन अग्रिम जमानत आवेदन इसलिए दाखिल किया जा रहा है क्योंकि अपराध का संज्ञान लिये जाने के बाद वस्तु स्थिति बदल चुकी है।

4. अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल एक अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1004/20 दिनांक 13.10.2020 में खारिज किया जा चुका है। इस कांड में दिनांक 01.09.2022 को आवेदक एवं अन्य तीन व्यक्तियों के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 341, 323, 325, 307, 504, 506/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। अपराध का संज्ञान लिये जाने के पश्चात आवेदक द्वारा दाखिल दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1925/22 को दिनांक 15.12.2022 में खारिज किया जा चुका है। तीसरी बार अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने हेतु दर्शित नवीन परिस्थिति अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य के प्रतिकूल है। उपरोक्त स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत इस नवीन अग्रिम जमानत आवेदन को पोषणीय न पाते हुए खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

ह0/–

(आदि देव)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम

दरभंगा।